कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1314078 दिनांक 14-11-2013

पत्रांक-ज्वा0कमि0-(वि0अनु0शा0)मु0-20/धान कर अपवंचन-2013-2014/ 1466 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर 13, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रान्त से अधिकतर धान दिल्ली व बिहार के लिये परिवहित किया जाना दर्शाया जा रहा है जबकि वास्तविक रुप से माल की बिक्री प्रान्त में ही की जा रही है तथा प्रान्त बाहर से भी केवल प्रपत्रो पर आयात दिखाकर करापवंचन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त टी0डी0एफ0(बहती) के माध्यम से भी फर्जी रूप से धान का परिवहन प्रान्त बाहर से प्रान्त बाहर के लिये उत्तर प्रदेश होते हुए परिवहन दिखाया जा रहा है जबकि उसकी बिक्री उत्तर प्रदेश के अन्दर की राइस मिलों को की जा रही है |

अतः धान पर हो रहे करापवंचन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि परिवहित किये जा रहे धान के वाहनों की अधिक से अधिक जाँच कराते हुए बिलो का संग्रहण किया जाये तथा उनकी तत्काल आनलाइन फीडिंग की जाय | करनिर्धारण अधिकारियों से ऐसे बिलों का तत्काल सत्यापन कराते हुए अनियमितता पाये जाने पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायें | मंडी समिति से भी सूचना संकलित करते हुए तथा मंडियों की जांच करते हुए एवं रेलवे से भेजे जाने वाले माल की भी सूचना संकलित करते हुए अनियमितता पाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही करायी जाय | सचलदल इकाईयाँ उन मार्गो पर विशेष रूप से जांच कार्य करेगीं जहाँ राइस मिले कार्यरत है तथा जिनके लिए धान के वाहन इन मार्गो से इन राइस मिलों के लिये जाते हुए पाये जाते है |

वि0अनु0शा0अधिकारियों से इस सम्बन्ध में ठोस एवं सार्थक अभिसूचनायें संकलित कराकर अधिक्षेत्र में स्थित राइसमिलों की जाँच करायें तथा समय से प्रतिवेदन करनिर्धारण अधिकारी को प्रेषित करायें | कृत कार्यवाही की सूचना से मुख्यालय को भी अवगत करायें |

वि0अनु0शा0अधिकारियों के कार्यो की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख को वि0अनु0शा0 अनुभाग को निर्धारित प्रारुप में भेजना सुनिश्चित करें |

सचलदल अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यो की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख को सचलदल अनुभाग को निर्धारित प्रारुप में भेजना सुनिश्चित करें |

अतः उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय |

संलग्नक- निर्धारित प्रारुप |

13/11/13

(सेल्वा कुमारी जे0)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारुप-1)

सचलदल इकाईयों एवं एतदर्थ अधिकृत कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वाहनों की जांच

दिनांक से तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	चेक किये गये वाहनों की संख्या	दोषी वाहनों की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य	जमानत / अर्थदण्ड की धनराशि	कुल कितने गेटपास 9आर / 6आर एकत्रित किये गये
1	2	3	4	5	6	7

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारुप-2)

जोन में स्थित करनिर्धारण अधिकारियों / वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा मंडियों की जांच

दिनांक से तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	कुल मंडियों की संख्या	मंडी का नाम जिसमें जांच की गयी	कितने व्यापारियों की जांच की गयी	कितने मामलों में प्रतिकूल तथ्य पाये गये	अपवंचित धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारुप-3)

जोन में रेलवे से प्रेषित किये जाने वाले माल की जांच का विवरण। (वि0अनु0शा0/कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा)

दिनांक से तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	रेलवे स्टेशन का नाम	व्यापारी द्वारा नाम व पता जिसके नाम रेलवे बैगन/ बाक्स आवंटित हुआ	व्यापारी का नाम व पता जिसके द्वारा वास्तविक रूप से माल भेजा गया	माल की मात्रा कुन्टल में / कीमत रु0 लाख में	तिथि	जांच का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

धान की जांच से सम्बन्धित विवरण (प्रारुप-4)

जोन में स्थित राइस मिलों की जांच। (वि0अनु0शा0/कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा)

दिनांक से तक की संकलित सूचना

क्र0 सं0	जोन का नाम	कुल राइस मिलों की संख्या	कितनी राइस मिलों की जांच की गयी	जांच का परिणाम	जांच हेतु अवशेष राइस मिलों की संख्या
1	2	3	4	5	6